न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 98 / 2025

1. श्रीमती राज श्री कंवर पत्नी स्व. राजेन्द्रसिंह उम्र 39 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. मोनू कंवर पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह उम्र 19 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. कुबेरसिंह पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये अपनी माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती राज श्री कंवर पत्नी स्व. राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.........वादीगण........

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. नरपतसिंह पुत्र स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. श्रीमती प्रकाश कंवर पुत्री स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. श्रीमती पुष्पाकंवर पुत्री स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
6. श्रीमती सुशीला कंवर पुत्री स्व. समन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

...........प्रतिवादीगण........

दावा घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ति बाबत

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री गोर्वधनसिंह राठौड़ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 26/8/25

-: निर्णय :-

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण के ससुर एवं दादा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता की खातेदारी अधिकारों का एक खेत खसरा नंबर 573 तादादी 37.0034 हैक्टेयर बारानी दोयम वाके रोही ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान में स्थित चला आ रहा है। खातेदार समन्द्रसिंह का

लगातार ....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दिनांक 19.09.2018 को स्वर्गवास हो चुका है और समन्द्रसिंह की धर्मपत्नी रूकमा कंवर का भी दिनांक 31.08.2019 को स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार समन्द्रसिंह के पुत्र राजेन्द्रसिंह जो वादीगण के पति व पिता है का भी दिनांक 12.05.2023 को स्वर्गवास हो चुका है। वादगत खेत खसरा नंबर 573 तादादी 37.0034 हैक्टेयर बारानी दोयम वाके रोही ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का संयुक्त रूप से कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादगत भूमि में विधिनूसार वादीगण प्रत्येक का 1/21–1/21–1/21 हक हिस्सा कानूनन है। स्व. समन्द्रसिंह के वारिसान का वंशवृक्ष इस प्रकार है :–

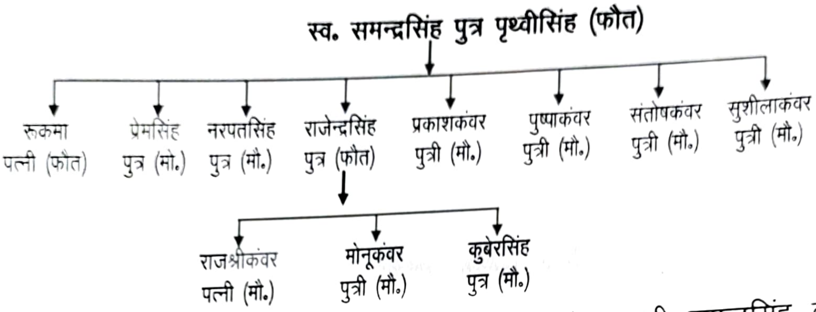

वादीगण की सास व दादीसा श्रीमती रूकमाकंवर पत्नी समन्द्रसिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2019 को हो गया था और उनके नाम की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 616, 755, 769 वाके रोही ईंयारा की भूमि में वादीगण के नाम खातेदारी जरिये विरासतन दर्ज की जा चुकी है। उक्त जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है। वादीगण के ससुर व दादोसा समन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिसान में उनकी धर्मपत्नी रूकमा कंवर का स्वर्गवास हो चुका है तथा शेष वारिसान प्रेमसिंह, नरपतसिंह, स्व. राजेन्द्रसिंह, प्रकाशकंवर, पुष्पाकंवर, संतोषकंवर, सुशीला कंवर पुत्रगण व पुत्रिया का वादगत भूमि में प्रत्येक का 1/7– 1/7 हक हिस्सा कानूनन कायम हो गया। वादीगण के पति व पिता राजेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण राजेन्द्रसिंह का 1/7 हक हिस्सा में वादीगण का हक हिस्सा कानूनन निहित हो गया अर्थात वादीगण प्रत्येक का विरासतन वादगत भूमि में 1/21– 1/21 हक हिस्सा वादगत भूमि में कायम हो गया। प्रतिवादीगण वादगत भूमि में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने से टालमटोल करते है। इसलिये वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वोह वादगत भूमि में अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावें। वादगत भूमि

लगातार ....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

वादीगण की पैतृक भूमि है और उक्त भूमि में वादीगण अपने हिस्से पांति की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारीगण है। वादीगण ने दिनांक 20.06.2025 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादीगण ने यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 नरपतसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 संतोष कंवर दिनांक 13.08.2025 को उपस्थित आये और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 5 ने राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया व प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाशकंवर, प्रतिवादी संख्या 4 पुष्पाकंवर व प्रतिवादी संख्या 6 सुशिला कंवर दिनांक 20.08.2025 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादीगण के साथ राजीनामा पेश किया, उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया, प्रतिवादी संख्या 7 ने जबाब राज्यहित निहित नहीं होना पेश किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादीगण के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया है और न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा में उभय पक्षकारान ने कथन किया है कि वादगत भूमि स्व॰ समन्द्रसिंह के खातेदारी अधिकार व मालिकाना अधिकार की थी और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 स्व॰ समन्द्रसिंह के जायज विधिक उतराधिकारीगण है। स्व॰ समन्द्रसिंह के पुत्र राजेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादगत भूमि में वादीगण के पति व पिता राजेन्द्रसिंह का 1/7 हिस्सा कानूनन है और उक्त 1/7 हिस्सा भूमि में स्व॰ राजेन्द्रसिंह के वारिसान वादीगण प्रत्येक का 1/21–1/21–1/21 हिस्सा भूमि कानूनी दृष्टि से है। वादगत भूमि में स्व॰ समन्द्रसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा भूमि है। वादगत भूमि में वादीगण को 1/21–1/21–1/21 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7–1/7 हक हिस्सा भूमि का खातेदारी घोषित किया जावे और उनके नाम से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जावे और राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से राजीनामा पेश किया जा चुका है। राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादगत भूमि स्व॰ समन्द्रसिंह के खातेदारी अधिकार व मालिकाना अधिकार की थी और वादीगण

लगातार ....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 स्व. समन्द्रसिंह के जायज विधिक उतराधिकारीगण है। स्व. समन्द्रसिंह के पुत्र राजेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादगत भूमि में वादीगण के पति व पिता राजेन्द्रसिंह का 1/7 हिस्सा कानूनन बनता है और उक्त 1/7 हिस्सा भूमि में स्व. राजेन्द्रसिंह के वारिसान वादीगण प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा भूमि कानूनी दृष्टि से है। वादगत भूमि में कानूनी दृष्टि से स्व. समन्द्रसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा भूमि है। पत्रवाली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पति एवं पिता समन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह निवासी ईयारा के नाम से प्रमाणित जमाबंदी है व उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में राजीनामा पेश किया जा चुका है। वादीगण प्रत्येक को खेत खसरा नंबर 573 वाके रोही ईयारा की भूमि में 1/21–1/21 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादीगण का घोषणात्मक वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात व राजीनामा के आधार पर वादीगण का घोषणात्मक वाद राजीनामा के मुताबिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का घोषणात्मक व रेकॉर्ड दुरुस्ति का दावा मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 588 में अंकित खेत खसरा संख्या 573 भूमि तादादी 37.0034 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण प्रत्येक को 1/21–1/21 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है और वादीगण प्रत्येक के नाम से 1/21–1/21 हिस्सा भूमि की खातेदारी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से 1/7–1/7 हिस्सा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 7 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26-8-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती राजश्री कंवर आदि बनाम प्रेमसिंह आदि

दावा घोषणात्मक व रेकॉर्ड दुरूस्ति

राजस्व वाद संख्या :– 98/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री गोर्वधनसिंह राठौड़ वकील मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खाता संख्या 588 में अंकित खेत खसरा संख्या 573 भूमि तादादी 37.0034 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण प्रत्येक को 1/21–1/21 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है और वादीगण प्रत्येक के नाम से 1/21–1/21 हिस्सा भूमि की खातेदारी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से 1/7–1/7 हिस्सा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 7 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज.......—.......मुबलिग.......—.......बाबत.......—.......खर्चा

इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—.......फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—.......को

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-8-2025

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर

बीदासर जिला चूरू